संख्या– 517 /11–6–2016–एम (7)/14

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 29 अगस्त, 2016

विषयः प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा सर्वतोन्मुखी पर्यटन विकास के संबंध में नई पर्यटन नीति–2016 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–12/2016/120/41–2016–287 सा0/2015 दिनांक 01.02.2016 एवं उक्त संबंध में अपने पत्र संख्या–407/प्र0क0–3/आर–05/2016–17 दिनांक 10.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा सर्वतोन्मुखी पर्यटन विकास हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 पर्यटन नीति–2016 प्रख्यापित की गई है। उक्त नीति के प्रस्तर–12(8) में प्रदेश में नए निर्मित होने वाले थीम पार्क एम्यूज्मेन्ट पार्क एवं वाटर पार्क को अगले पांच वर्षों तक मनोरंजन कर से मुक्त रखे जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधान के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि थीम पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क एवं वाटर पार्क की परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु संचालन की तिथि से 05 वर्ष तक उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–11 के अन्तर्गत मनोरंजन कर से मुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि थीम पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क एवं वाटर पार्क को कर छूट की अवधि समाप्त होने के उपरान्त अगले 05 वर्ष तक संचालित किया जाना आवश्यक होगा तथा इस अवधि के दौरान संचालित विभिन्न आमोदों पर नियमानुसार मनोरंजन कर देय होगा। स्थापित आमोदों को निर्धारित अवधि तक न चलाने अथवा शासनादेश की किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर दी गयी कर छूट की समस्त धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाए की भाँति वसूल की जायेगी।

3. थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क एवं वाटर पार्क के संचालन से पूर्व सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–5 के अन्तर्गत नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। थीम पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क एवं वाटर पार्क के संचालक/स्वामी को उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 एवं उ0प्र0 आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के प्राविधानों/नियमों तथा सुसंगत शासनादेशों का पालन बाध्यकारी होगा।

....2

4. थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क एवं वाटर पार्क में यदि मल्टीप्लेक्स का निर्माण/संचालन प्रस्तावित हो, तो उसके स्वामी/संचालक को उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 तथा उ0प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों/नियमों एवं इस सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

5. उक्त छूट केवल उन्हीं नवनिर्मित थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क एवं वाटर पार्क को अनुमन्य होगा, जो इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट से विधिवत अनुमति प्राप्त कर संचालित करेगा।

6. उक्त छूट विधिक अनुबन्ध किये जाने पर ही अनुमन्य होगा।

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 517 (1)/11–6–2016–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
(3) महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
(4) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
MG
(मदन मोहन)
अनु सचिव।

d:entertainment tax:diwakar